न्यायालय - सिविल जज, (प्रवर वर्ग), मथुरा
प्रकीर्ण वाद सं0–253/2010
मूलवाद सं0–332/1999
श्री गिर्राज सेवक समिति बनाम दिलीप कुमार आदि

03.11.2020

पत्रवली पेश हुई।

भगवान श्री गिर्राज जी महाराज मन्दिर, दानघाटी, गोवर्धन, मथुरा के मुनीम श्री अशोक कुमार कौशिक द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि श्री गिर्राज जी मन्दिर दानघाटी एवं श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर गोवर्धन पर दीपावली पर हर वर्ष विद्युत सजावट का ठेका उठाया जाता है। विद्युत सजावट दिनांक 11.11.2020 से 30.11.2020 तक बीस दिन के लिये उठाया जाना है। दीपावली पर हर मन्दिर की सजावट होती है इसलिये ठाकुर जी मन्दिर की सजावट ठेका उठाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक श्री अशोक कुमार कौशिक, मुनीम द्वारा कथन किया गया कि उक्त मन्दिरों में सजावट का ठेका निम्न प्रकार से उठाया जाना है –

ए– प्रतिदिन शाम को 07.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक एवं सुबह 04.30 बजे से 05.30 बजे तक बिजली की सजावट से मन्दिर को रोशन करना।

बी– दिनांक 11.11.2020 से दिनांक 30.11.2020 तक शाम 07.30 बजे से सुबह 05.30 बजे तक जनरेटर चलेगा जिसका डीजल मन्दिर द्वारा दिया जायेगा, परन्तु जनरेटर विद्युत ठेकेदार का होगा।

आगामी दिनों में दीपावली का त्यौहार है जिसमें देश–विदेश से लाखों श्रद्धालू श्री गिर्राज जी महाराज के दर्शनों हेतु गोवर्धन आते हैं तथा दीपावली के त्यौहार में भगवान श्री गिर्राज जी महाराज के उक्त दोनों मन्दिरों में बिजली की सजावट कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत श्री दानघाटी मन्दिर एवं श्री लक्ष्मीनारायन मन्दिर के विद्युत एवं जनरेटर हेतु ठेके की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तो पर की जायेगी –

1– ठेकेदार द्वारा श्री दानघाटी मन्दिर परिसर में दिनांक 11.011.2020 से दिनांक 30.11.2020 तक जनरेटर 75के0वी0 की व्यवस्था की जायेगी तथा उक्त दिनांकों में शाम 07.30 बजे से सुबह 05.30 बजे तक जनरेटर 75के0वी0 चलेगा जिसका डीजल मन्दिर द्वारा दिया जायेगा, परन्तु जनरेटर विद्युत ठेकेदार का होगा।

2– ठेकेदार द्वारा श्री दानघाटी मन्दिर परिसर हेतु दिनांक 11.11.2020 से दिनांक 30.11.2020 तक जो जनरेटर 75के0वी0 की व्यवस्था की जायेगी, उसी जनरेटर से श्री लक्ष्मीनारायन मन्दिर परिसर भी रोशन किया जायेगा, यदि कोई असुविधा हो तब सम्बन्धित ठेकेदार न्यायालय को दिनांक 10.11.2020 की प्रातः सुबह 10.00 बजे न्यायालय में अवगत करा सकता है। श्री लक्ष्मीनारायन मन्दिर में जनरेटर की सुविधा की अवधि वही रहेगी जो श्री दानघाटी मन्दिर हेतु की गयी है।

श्री दानघाटी मन्दिर

3– दिनांक 11.11.2020 से दिनांक 30.11.2020 की अवधि हेतु दोनों मन्दिरों पर पूर्ण डेकोरेशन लाइट रोशनी करायी जायेगी।

4– मन्दिर में आगे से पीछे तक शिखरों पर रनिंग लाइट लगेगी।

5– मन्दिर परिसर में 150 एल0ई0डी0 लाइट लगेंगी।

6– मन्दिर परिसर में आठ मैटेलिक लाइट 400 वाट की लगेंगी।

7– मन्दिर के फ्रंट पर लाइट व बार्डर रनिंग टेप बत्ती लगेगी।

8– 100 सिरीज, 6 शिखरों पर लाइट में बदलते हुए लगायी जायेगी।

श्री लक्ष्मीनारायन मन्दिर

9-- मन्दिर के आगे फ्रंट पर आउट बार्डर व टेप बत्ती सिरीज लगायी जायेगी।

10– 15 पीस एल0ई0डी0 लाइट लगायी जायेगी।

ठेकेदार को पैसा दो किश्तों में दिया जायेगा जिसमें से प्रथम किश्त में आधा भुगतान ठेका प्रारम्भ होने के पांच दिन पश्चात् व द्वितीय किश्त में शेष आधा पैसा ठेका समाप्त होने के पश्चात् ठेकेदार को किया जायेगा। विद्युत सजावट एवं जनरेटर की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा क्योंकि गुणवत्ता की जरा सी भी घटोत्तरी की गयी तो इससे आने वाले श्रद्धालुओं को निराशा होगी तथा गुणवत्ता की घटोत्तरी करने पर ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। समस्त प्रस्तावित आवेदनकर्ता/ठेकेदारों से सीलबंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं जो आवेदनकर्ता/ठेकेदार कम धनराशि में अधिकतम गुणवत्ता दे पायेगा उसे ही ठेके की

Scanned with CamScanner

जिम्मेदारी दी जायेगी। उक्त ठेके की कार्यवाही में मूलवाद सं0 332/1999 का कोई भी पक्षकार तथा अपराध सं0 229/2019 धारा 409,420 भा0दं0सं0 के प्रकरण में निरूद्ध अभियुक्त डालचन्द्र का कोई भी सहयोगी सम्बन्धी या रिश्तेदार आवेदन नहीं करेगा। सभी सम्बन्धित सूचित हों। आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 09.11.2020 को प्रात 11.00 बजे तक है, इसके उपरान्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि को अधिकतम गुणवत्ता सहित न्यूनतम धनराशि किसी आवेदनकर्ता/ठेकेदार की रही इसकी उद्घोषणा की जायेगी तदोपरान्त उक्त दिनांक को 12.00 बजे के उपरान्त ठेका नीलामी प्रकिया न्यायालय द्वारा सम्पन्न करा दी जायेगी। इस आदेश का प्रकाशन मुनीम श्री अशोक कुमार कौशिक द्वारा अविलम्ब रूप से किया जाये जिससे सभी सम्बन्धित सूचित हों। इस आदेश की एक प्रति श्री दानघाटी मन्दिर के पटल एवं एक एक प्रति श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर के पटल पर चस्पा की जाये तथा जनपद मथुरा के किसी प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र में टैण्डर के आवेदन की अन्तिम तिथि का प्रकाशन कराया जाये। तदनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है। स्थानीय समाचार पत्र 'बृज उपहार', 'बृजगरिमा', 'व छोटी सी बात' के आदेश की प्रति निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये व न्या. की वेबसाइट पर अपलोड की जाये। (छाया शर्मा)

दिनांक : 03.11.2020

प्रभारी सिविल जज, (प्रवर वर्ग),
मथुरा

श्रीमान जी
आदेश की प्रति
श्री दानघाटी मंदिर
एवं लक्ष्मीनारायण मंदिर
प्राप्त की
3-11-2020

Scanned with CamScanner